TaxGuru®
Complete tax solution

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 फाल्गुन 1945 (श0)

(सं0 पटना 261) पटना, शुक्रवार, 15 मार्च 2024

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
15 मार्च 2024

एस०ओ० 68 दिनांक .15 मार्च 2024—— बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम, 2024 (बिहार अधिनियम 04, 2024) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।–

(1) यह नियमावली बिहार कराधान विवादों का समाधान नियमावली, 2024 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी एवं बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम, 2024 की प्रभावी तिथि तक लागू रहेगी।

2. परिभाषाएँ – इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो,–

(क) ''प्रपत्र'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र;

(ख) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(ग) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम, 2024।

(2) अन्य शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ जो इस नियमावली में प्रयुक्त की गई हैं, पर इनमें परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अधिनियम या विधि या इनके अधीन बनी नियमावलियों में परिभाषित हैं, उसके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम या विधि या इनके अधीन बनी नियमावलियों जैसा भी मामला हो, में समनुदेशित किए गए हों।

3. समाधान का तरीका एवं उसके लिए आवेदन।–

(1) विवाद के समाधान के लिए इच्छुक कोई पक्षकार इस नियमावली की समाप्ति के कम से कम बीस दिनों पूर्व तक उपनियम (2) के प्रावधानों के अधीन पूर्ण रूप से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित आवेदन प्रपत्र–I में उपनियम (6) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा :

परन्तु विवाद के समाधान के लिए इच्छुक कोई पक्षकार, प्रपत्र–I में पूर्ण रूप से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित आवेदन, उपनियम (6) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को वाणिज्य–कर

विभाग, बिहार की विभागीय वेबसाईट में प्रदर्शित उनके आधिकारिक ई–मेल पते पर भेज सकेगा।

(2) प्रत्येक विवाद हेतु अलग–अलग आवेदन प्रपत्र–I में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ संलग्न होंगे–

(क) वार्षिक विवरणी या विवाद की अवधि के लिये लागू सभी त्रैमासिक विवरणियों की प्रति, यदि दाखिल हों:

परन्तु यदि विवाद निर्धारित कर से संबंधित न होकर, मात्र किसी शास्ति अथवा ब्याज अथवा जुर्माना अधिरोपण से संबंधित है तो विवरणियों/वार्षिक विवरणी की प्रति देना अनिवार्य नहीं होगा,

(ख) स्वीकृत कर के भुगतान और विवादित राशि के भुगतान के समर्थन में, चालान के माध्यम से किये गये भुगतान के विवरण सहित साक्ष्य, या वाणिज्य–कर विभाग के वेबसाईट से डाउनलोड किया गया पेमेंट रिपोर्ट या पूर्ण और सही रूप से भरे हुये TDS प्रमाण–पत्र प्रपत्र C-II में, जहाँ लागू हो:

परन्तु यह कि TDS प्रमाण–पत्र प्रपत्र C-II के मामले में, आवेदक कटौती करनेवाले प्राधिकार द्वारा निर्गत यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि अवधि .... के लिये आवेदक के विपत्र से कटौती की गयी कर की राशि रू०.................... को .... कोषागार में (कोषागार का नाम) चालान सं० .... दिनांक .... के द्वारा जमा कर दिया गया है। सरकारी कोषागार में जमा किये गये उक्त चालान वास्ते रू० ....में मेसर्स... (जिसकी कटौती की गई है, का नाम) से कटौती की गई राशि भी शामिल है।

(ग) कर, ब्याज या शास्ति या जुर्माना अधिरोपण आदेश की प्रति, जहाँ उपलब्ध हो,

(घ) माँग–पत्र की प्रति, जहाँ खंड (ग) के तहत प्रस्तुत नहीं किया गया हो,

(ङ.) प्राप्त वैधानिक घोषणा पत्र/प्रमाण–पत्र के विवरण सहित घोषणा पत्रों एवं प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति,

(च) प्रपत्र–I में विहित स्थान पर ई–मेल पता एवं मोबाईल नं०,

(छ) ब्लू बॉलपॉइंट पेन से हस्ताक्षरित आवेदक के पैन की प्रति।

(3) प्रपत्र–I में कोई आवेदन, विधि के अन्तर्गत किसी भी अवधि के केवल एक मामले के लिए होगा और वह उक्त मामले के सम्पूर्ण विवाद को आच्छादित करेगा न कि मामले के किसी अंश को।

(4) प्रपत्र–I में उक्त आवेदन कारोबार के मालिक द्वारा या फर्म के मामले में फर्म की ओर से कार्य करने के लिये प्राधिकृत फर्म के साझेदार द्वारा, या अविभाजित हिन्दु परिवार के कारोबार के मामले में परिवार के कर्त्ता द्वारा, या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 1) के अधीन निगमित कम्पनी अथवा किसी विधि के अधीन गठित किसी निगम के मामले में उसके प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा, या किसी सोसाईटी, क्लब अथवा व्यक्तियों के संगठन, अथवा व्यक्ति समूह अथवा सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकार के मामले में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या उसके प्रभारी पदाधिकारी द्वारा, या सभी मामलों में घोषित प्रबंधक द्वारा प्रपत्र के यथोचित स्थान पर हस्ताक्षरित होगा।

(5) यदि आवेदन पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से भेजे जाते हैं तो आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि, वह तिथि मानी जायेगी जिस दिन विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त किया जाता है।

(6) आवश्यक कागजातों के साथ सम्यक् रूप से भरा गया एवं हस्ताक्षरित आवेदन प्रपत्र–I नीचे उल्लिखित प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा –

तालिका

क्रम संख्या	दिनांक 31.01.2024 को विवादों की प्रकृति	प्राधिकार जिसके समक्ष प्रपत्र–I प्रस्तुत किया जाना है
(1)	(2)	(3)
1.	कर/ब्याज/शास्ति/जुर्माना	उस कार्यालय का प्रधान जहां विवादित आदेश पारित किया गया है।
2.	चेक–पोस्ट प्राधिकारी द्वारा माल के परिवहन संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन के लिए पारित शास्ति आदेश	अंचल प्रभारी जिनके क्षेत्राधिकार अन्तर्गत ऐसा चेक–पोस्ट अवस्थित था।
3.	क्रमांक 1 और 2 को छोड़कर अन्य मामले	अंचल प्रभारी जिनका आवेदक के व्यवसाय/कारोबार पर क्षेत्राधिकार है।

(7) उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट प्राधिकार का कार्यालय आवेदन के पूर्णता की जाँचोपरान्त, पक्षकार को प्रपत्र–II में एक प्राप्ति–रसीद देगा।

4. आवेदन का निष्पादन।–

(1) नियम 3 में वर्णित आवश्यकताओं के अनुरूप जबतक आवेदन नहीं होगा तब तक किसी आवेदन पर नियम 3 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(2) नियम 3 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, पक्षकार द्वारा आवेदन प्रपत्र-I में दिये गए विवादित राशि की गणना, भुगतित राशि, समाधान राशि तथा अन्य विवरण की जाँच उक्त आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दो दिनों के भीतर करेगा।

(3) जहाँ उपनियम (2) के आलोक में सत्यापनोपरांत, उस उपनियम में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पाया जाता है कि आवेदन अपूर्ण/अशुद्ध/नियम–3 की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है,

तो उक्त प्राधिकारी उपनियम (2) में निर्दिष्ट सत्यापन के दूसरे दिन प्रपत्र–III में, आवेदन प्रपत्र–I की त्रुटियों को दूर करने के लिए कमी का ज्ञापन निर्गत करेगा।

(4) एक पक्षकार जिसको प्रपत्र–III में कमी का ज्ञापन संसूचित किया गया है, वह कमी का ज्ञापन प्राप्त होने के चार दिनों के भीतर आवेदन प्रपत्र–I की त्रुटियों को दूर करेगाः

परन्तु यदि पक्षकार आवेदन प्रपत्र–I की त्रुटियों को, जैसा प्रपत्र–III के माध्यम से संसूचित किया गया है, दूर करने में असफल रहता है, तो उक्त प्राधिकारी उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के दो दिनों के भीतर विवाद के समाधान के आवेदन को प्रपत्र–VII में आदेश द्वारा अस्वीकृत कर देगा जिसकी एक प्रति पक्षकार को ई–मेल पते पर भेज दी जायेगीः

परन्तु और यह कि उपर्युक्त अस्वीकृति नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन पक्षकार को नया आवेदन दाखिल करने से वंचित नहीं करेगी।

(5) जहाँ पक्षकार के द्वारा उपनियम (4) के अधीन त्रुटियों को दूर करने के बाद या उपनियम (2) के अधीन सत्यापन पर, नियम 3 के उपनियम (6) में विहित प्राधिकारी द्वारा पाया जाता है कि–

(क) पक्षकार के द्वारा प्रपत्र–I में विनिर्दिष्ट कर, ब्याज, शास्ति या जुर्माना का कोई भुगतान वहन नहीं किया गया है और आधिकारिक अभिलेख या वाणिज्य–कर विभाग, बिहार के वैटमिस एप्लीकेसन पर जनित पेमेंट रिपोर्ट से सत्यापित नहीं है, या

(ख) विवादित राशि या समाधान राशि सही रूप से संगणित नही है या अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो उक्त प्राधिकारी आवेदन प्रपत्र–I के प्राप्त होने के दस दिनों के अन्दर, प्रपत्र–IV में आदेश द्वारा पक्षकार को आदेश की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर लेकिन किसी भी परिस्थिति में नियमावली की समाप्ति के दो दिन पूर्व के बाद नहीं, कर, ब्याज, शास्ति या जुर्माना के केवल ऐसे भुगतान जो आधिकारिक अभिलेख या वाणिज्य–कर विभाग, बिहार के वैटमिस एप्लीकेसन पर जनित पेमेंट रिपोर्ट से सत्यापित नहीं है, के संबंध में कोषागार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने या जैसा मामला हो, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संगणित भुगतेय समाधान राशि को बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम–27 में दिए गए तरीके से सरकारी कोषागार में जमा करने, और साक्ष्य स्वरूप चालान प्रस्तुत करने का निर्देश देगा।

(6) जहाँ उपनियम (2) के आलोक में सत्यापनोपरांत उस उपनियम में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पाया जाता है कि –

(क) आवेदन नियम–3 की आवश्यकताओं के अनुरूप है,

(ख) विवादित राशि और समाधान राशि सही रूप से संगणित किया गया है तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है, तथा

(ग) पक्षकार के द्वारा प्रपत्र–I में विनिर्दिष्ट सभी कर, ब्याज, शास्ति या जुर्माना का भुगतान वहन किया गया है और आधिकारिक अभिलेख या वाणिज्य–कर विभाग, बिहार के वैटमिस एप्लीकेसन पर जनित पेमेंट रिपोर्ट से सत्यापित हैं,

तो उक्त प्राधिकारी आवेदन प्रपत्र–I के प्राप्त होने के दस दिनों के अन्दर, प्रपत्र–V में आदेश द्वारा पक्षकार को आदेश की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर लेकिन किसी भी परिस्थिति में नियमावली की समाप्ति के दो दिन पूर्व के बाद नहीं, समाधान राशि को बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम–27 में दिए गए तरीके से सरकारी कोषागार में जमा करने, और साक्ष्य स्वरूप चालान प्रस्तुत करने का निर्देश देगा।

(7) उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी सम्पूर्ण समाधान राशि जमा होने के दो दिन के भीतर प्रपत्र–VI में आदेश द्वारा पूर्वोक्त विवाद का समाधान कर देगा।

(8) यदि पक्षकार

(क) प्रपत्र–III के माध्यम से संसूचित आवेदन प्रपत्र–I की त्रुटियों को दूर करने में असफल रहता है; या

(ख) प्रपत्र–IV के आदेश के प्रत्युत्तर में वैसे कर, ब्याज, शास्ति या जुर्माना के भुगतान जिन्हें आधिकारिक अभिलेख या वाणिज्य–कर विभाग, बिहार के वैटमिस एप्लीकेसन पर जनित पेमेंट रिपोर्ट से सत्यापित नहीं किया जा सका है, के संबंध में उपनियम (5) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर कोषागार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करता है; या

(ग) प्रपत्र–IV के आदेश के प्रत्युत्तर में शेष समाधान राशि, जिसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संगणित किया गया है, के भुगतान का साक्ष्य उपनियम (5) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करता है; या

(घ) प्रपत्र–V के अनुसार देय संपूर्ण समाधान राशि के जमा करने का साक्ष्य उपनियम (6) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करता है।

तो उक्त प्राधिकारी नियमावली समाप्त होने के पूर्व प्रपत्र–VII में आदेश द्वारा विवाद के निपटारे के आवेदन को अस्वीकृत कर देगा और इस आदेश से पक्षकार को भी संसूचित करेगाः

परन्तु उपर्युक्त अस्वीकृति नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन पक्षकार को नया आवेदन दाखिल करने से वंचित नहीं करेगी।

(9) प्रपत्र–III, प्रपत्र–IV, प्रपत्र–V, प्रपत्र–VI और प्रपत्र–VII में सभी संसूचन प्रपत्र–I में विनिर्दिष्ट ई–मेल पता पर किया जायेगा।

प्रपत्र- I

(बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम, 2024 के अधीन विवाद के समाधान हेतु आवेदन का प्रपत्र)

[देखें नियम 3(1)]

(आवेदन केवल ब्लू बॉलप्वाइंट पेन द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जायेगा)

के समक्ष

....

....

मैं, ...(पूरा नाम बड़े अक्षरों में), पिता .... निवास स्थान.. प्रोपराईटर/साझेदार/कर्ता/ प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी/घोषित प्रबंधक विवाद में बकाया कर, ब्याज, शास्ति या जुर्माना के समाधान हेतु आवेदन करता हूँ, जिसका प्रासंगिक विवरण निम्नवत है –

1. कारोबार का व्यापारिक नाम	
2. कारोबार के मुख्य स्थान का पता	
3. डाक का पता जिस पर संसूचन किया जा सकता है	
4. आवेदक का पैन (PAN)	
5. ई–मेल आईडी जिस पर नोटिस/संसूचन भेजे जा सकते हैं	
6. मोबाईल नंबर जिस पर संपर्क किया जा सकता है	
7. अधिनियम जिसके तहत मामला लंबित है	
8. विधि के तहत निबंधन प्रमाण–पत्र संख्या (यदि कोई हो)	
9. मामले की अवधि जिसके संबंध में आवेदन किया गया है	
10. विवरणी के अनुसार देय स्वीकृत कर	
11. भुगतान किया गया स्वीकृत कर	
12. कर, ब्याज, शास्ति या जुर्माना के संबंध में पारित आदेश की तारीख	
13. माँग–पत्र संख्या और तारीख	
14. प्राधिकार जिसके समक्ष मामला लंबित (अंचल कार्यालय/अपीलीय प्राधिकारी/ आयुक्त/ न्यायाधिकरण/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय)	
15. वह तिथि जब अपील/रिवीजन/रेफरेंस/डब्ल्यू०पी०/ एस०एल०पी० दायर की गई	

16. विवाद का विवरण –

विवरण	वैधानिक प्रमाण–पत्रों / घोषणा–पत्रों के अभाव या अप्रस्तुतीकरण के कारण सृजित बकाया कर	अन्य बकाया कर	विधि के अधीन किसी आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति, जुर्माना या ब्याज से उत्पन्न विवाद
अधिरोपित कर, ब्याज, शास्ति या जुर्माना की राशि			
विवाद में सन्निहित कर, ब्याज, शास्ति या जुर्माना की राशि			
अधिनियम की धारा 3 के अनुसार समाधान राशि			
विवाद के संबंध में कर, ब्याज, शास्ति या जुर्माना के मद में पूर्व से भुगतान की गई राशि			
विवाद के समाधान के लिये भुगतेय शेष राशि			

17. विवादित राशि के मद में पूर्व से जमा राशि का विवरण :–

चालान संख्या	तिथि	कर / ब्याज / शास्ति / जुर्माना के मद में	जमा की गई राशि

18. वैधानिक प्रमाण–पत्रों / घोषणा–पत्रों का मूल्य जो माँग–पत्र निर्गमन के बाद प्राप्त हुए हैं और इस आवेदन के साथ संलग्न है :–

19. मैं / हमलोग निर्धारित कर के मद में रु०.........................., ब्याज के मद् में रू०............................, शास्ति के मद् में रू०.........................., जुर्माना के मद् में रू०............... का और भुगतान कर मामले को निपटाना चाहता हूँ / चाहती हूँ / चाहते हैं। मैं / हमलोग निदेशित समय के अन्दर निर्धारित राशि उचित सरकारी कोषागार में भुगतान करने का वचन देता हूँ / देती हूँ / देते हैं।

घोषणा

मैं...(पूरा नाम बड़े अक्षरों में) घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि इस आवेदन में दी गयी सूचना एवं विशिष्टियाँ सही एवं पूर्ण हैं।

तिथि....................................... **आवेदक का हस्ताक्षर**

***जो लागू नहीं हो उसे काट दें।** **हैसियत**

प्रपत्र- II

(बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम, 2024 के अधीन पावती का प्रपत्र)

[देखें नियम 3(7)]

...का कार्यालय

प्राप्ति संख्याः–

तिथिः–

प्रपत्र– I में आवेदन...

....से प्राप्त किया –

(क) कारोबार का व्यापारिक नाम ....

(ख) विधि के तहत निबंधन प्रमाण–पत्र संख्या (यदि कोई हो)................................

(ग) ई–मेल पता ....

(घ) मोबाईल नम्बर ....

चेक स्लिप [(√) का चिह्न यदि संलग्न हो/(x) का चिह्न यदि संलग्न नहीं हो]

(1) वार्षिक विवरणी या विवाद की अवधि के लिये लागू सभी त्रैमासिक विवरणियों की प्रति, यदि दाखिल हों ☐

(2) स्वीकृत कर के भुगतान और विवादित राशि के मद में पूर्व से भुगतान की गयी राशि के चालान की प्रतियाँ, इनके विवरण सहित ☐

(3) वाणिज्य–कर विभाग के वेबसाईट से डाउनलोड किया गया पेमेंट रिपोर्ट ☐

(4) प्रपत्र C-II के साथ कटौती करनेवाले प्राधिकार का प्रमाण–पत्र जैसा कि नियम 3(2)(ख) में विहित किया गया है ☐

(5) कर, ब्याज या शास्ति या जुर्माना अधिरोपण संबंधी आदेश की प्रति ☐

(6) विवाद से संबंधित माँग–पत्र की प्रति ☐

(7) प्राप्त वैधानिक घोषणा पत्र/प्रमाण–पत्र की मूल प्रतियाँ, इनके विवरण सहित ☐

(8) प्रपत्र–I में विहित स्थान पर ई–मेल पता एवं मोबाईल नं० का उल्लेख ☐

(9) ब्लू बॉलपॉइंट पेन से हस्ताक्षरित आवेदक के पैन की प्रति ☐

स्थान : **प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर**

पदनाम

मुहर :

प्रपत्र-III

(बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम, 2024 के अधीन प्रपत्र–I की त्रुटियों को दूर करने के लिए कमी का ज्ञापन)

[देखें नियम 4(3)]

...का कार्यालय

(1) कारोबार का नाम एवं स्वरूप जिसके संबंध में प्रपत्र–I में आवेदन प्राप्त किया गया है	:	
(2) प्रपत्र–I के अनुसार डाक का पता	:	
(3) विधि के तहत निबंधन प्रमाण–पत्र संख्या (यदि कोई हो)	:	
(4) ई–मेल आईडी जिस पर नोटिस/संसूचन भेजे जा सकते हैं	:	
(5) मोबाईल नंबर जिस पर संपर्क किया जा सकता है		
(6) विवाद में सन्निहित मांग की प्रकृति	:	
(7) विवाद की अवधि	:	

आदेश

आपके द्वारा प्रपत्र–I में दाखिल किया गया उक्त आवेदन जिसकी इस कार्यालय की पावती संख्या .... दिनांक...............................है, जो निम्न कारणों से *अपूर्ण/*अशुद्ध/*अधिनियम की नियम–3 के अनुरूप नहीं है –(कारण विनिर्दिष्ट करें)

1. ....
2. ....
3. ....

आपको निर्देश दिया जाता है कि प्रपत्र–I की त्रुटियों को दिनांक .... तक दूर करें। आपके द्वारा त्रुटियों को दूर करने में विफल होने पर, आगे कोई अन्य सुनवाई का अवसर दिये बगैर, विवाद के समाधान हेतु आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

स्थान : **हस्ताक्षर**
तिथि : **पदनाम**

मुहर :

***जो लागू नहीं हो उसे काट दें।**

ज्ञापांक... **दिनांक..**

प्रतिलिपि ....(पक्षकार) को अग्रसारित।

स्थान : **हस्ताक्षर**
तिथि : **पदनाम**

मुहर :

प्रपत्र- IV

(बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम, 2024 के अधीन भुगतान का प्रमाण/कोषागार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने हेतु आदेश)

[देखें नियम 4(5)]

..का कार्यालय

(1) कारोबार का नाम एवं स्वरूप	:
(2) प्रपत्र–II की पावती संख्या एवं तिथि	:
(3) प्रपत्र–I के अनुसार डाक का पता	:
(4) विधि के तहत निबंधन प्रमाण–पत्र संख्या (यदि कोई हो)	:
(5) विवाद में सन्निहित मांग की प्रकृति	:
(6) ई–मेल आईडी जिस पर नोटिस/संसूचन भेजे जा सकते हैं	:
(7) मोबाईल नंबर जिस पर संपर्क किया जा सकता है	:
(8) विवाद की अवधि	:

आदेश

आपके द्वारा प्रपत्र –I में दाखिल ऊपर वर्णित आवेदन के सत्यापनोपरान्त यह पाया गया कि–

(i) *प्रपत्र–I में विनिर्दिष्ट आपके निम्नांकित कर, ब्याज, शास्ति या जुर्माना का आधिकारिक अभिलेख या वाणिज्य–कर विभाग, बिहार के वैटमिस एप्लीकेसन पर जनित पेमेंट रिपोर्ट से सत्यापन नहीं होता हैः–

क्रमांक	दिनांक	राशि	कर/ब्याज/शास्ति/जुर्माना के मद में

(ii) *समाधान राशि की गणना सही रूप से नहीं की गयी है या अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, जैसा कि नीचे दी गयी तालिका में दर्शाया गया है। विवाद के संबंध में पूर्व से भुगतान की गयी राशि जो आधिकारिक अभिलेख या वैटमिस से सत्यापित है, को भी नीचे की तालिका में दर्शाया गया है –

विवाद की प्रकृति	प्रपत्र–I में दर्शायी गई समाधान राशि	अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संगणित समाधान राशि	विवाद के संबंध में पूर्व से भुगतान की गई राशि जो आधिकारिक अभिलेख या वैटमिस से सत्यापित है।
1	2	3	4
वैधानिक प्रमाण–पत्रों/ घोषणा–पत्रों के अभाव या अप्रस्तुतीकरण के कारण बकाया कर के मद में			
अन्य बकाया कर के मद में			
विधि के अधीन किसी आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति, जुर्माना या ब्याज से उत्पन्न विवाद के मद में			

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि–

(क) * आदेश के उपर वर्णित खंड–**(i)** की तालिका के अनुसार कर, ब्याज, शास्ति या जुर्माना के भुगतान के संबंध में दिनांक .... तक कोषागार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें (वैसे मामलों में जहाँ कोषागार प्रमाण–पत्र की आवश्यकता है)।

(ख) *निर्धारित कर के मद में रू० .... ,ब्याज के मद में रू०................, शास्ति के मद में रू० .... और जुर्माना के मद में रू० .... के शेष समाधान राशि का साक्ष्य, चालान के रूप में दिनांक...................... तक प्रस्तुत करें (वैसे मामलों में जहाँ कोषागार प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है)।

(ग) *निर्धारित कर के मद में रू० .... ,ब्याज के मद में रू०................, शास्ति के मद में रू० .... और जुर्माना के मद में रू० .... के शेष समाधान राशि का साक्ष्य, चालान के रूप में दिनांक...... .... तक प्रस्तुत करें (वैसे मामलों में जहाँ कोषागार प्रमाण–पत्र की आवश्यकता है एवं इन्हें प्रस्तुत किया जाता है), या

निर्धारित कर के मद में रू० .... ,ब्याज के मद में रू०...................., शास्ति के मद में रू० .... और जुर्माना के मद में रू० .... के शेष समाधान राशि का साक्ष्य, चालान के रूप में दिनांक................................ तक प्रस्तुत करें (वैसे मामलों में जहाँ कोषागार प्रमाण–पत्र की आवश्यकता है एवं इन्हें प्रस्तुत नहीं किया जाता है)।

स्थान : **हस्ताक्षर**
तिथि : **पदनाम**

मुहर :

***जो लागू नहीं हो उसे काट दें।**

ज्ञापांक... **दिनांक...**

प्रतिलिपि ....(पक्षकार) को अग्रसारित।

स्थान : **हस्ताक्षर**

तिथि : **पदनाम**
मुहर :

नोट :– **पक्षकार द्वारा विफल होने पर, आगे कोई अन्य सुनवाई का अवसर दिये बगैर, विवाद के समाधान हेतु आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।**

प्रपत्र- V

(बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम, 2024 के अधीन समाधान राशि जमा करने संबंधी आदेश)

[देखें नियम 4(6)]

...का कार्यालय

(1) कारोबार का नाम एवं स्वरूप	:
(2) प्रपत्र–II की पावती संख्या एवं तिथि	:
(3) प्रपत्र–I के अनुसार डाक का पता	:
(4) विधि के तहत निबंधन प्रमाण–पत्र संख्या (यदि कोई हो)	:
(5) ई–मेल आईडी जिस पर नोटिस/संसूचन भेजे जा सकते है	:
(6) मोबाईल नंबर जिस पर संपर्क किया जा सकता है	:
(7) विवाद में सन्निहित मांग की प्रकृति	:
(8) विवाद की अवधि	:

आदेश

प्रपत्र –I में दाखिल आवेदन के आलोक में समाधान की राशि निम्नवत संगणित है–

विवाद की प्रकृति	**प्रपत्र–I में दर्शायी गई समाधान राशि**	**अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संगणित समाधान राशि**	**विवाद के संबंध में पूर्व से भुगतान की गई राशि जो आधिकारिक अभिलेख या वैटमिस से सत्यापित है।**
1	**2**	**3**	**4**
वैधानिक प्रमाण–पत्रों/ घोषणा–पत्रों के अभाव या अप्रस्तुतीकरण के कारण बकाया कर के मद में			
अन्य बकाया कर के मद में			
विधि के अधीन किसी आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति, जुर्माना या ब्याज से उत्पन्न विवाद के मद में			

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि निर्धारित कर के मद में रू० .... ,ब्याज के मद में रू०...................... ,शास्ति के मद में रू० .... और जुर्माना के मद में रू० .... के शेष समाधान राशि का साक्ष्य, चालान के रूप में दिनांक...................... तक प्रस्तुत करें।

स्थान : **हस्ताक्षर**
तिथि : **पदनाम**

मुहर :

ज्ञापांक.. दिनांक...

प्रतिलिपि ....(पक्षकार) को अग्रसारित।

स्थान : **हस्ताक्षर**

तिथि : **पदनाम**

मुहर :

नोट :– पक्षकार द्वारा विफल होने पर, आगे कोई अन्य सुनवाई का अवसर दिये बगैर, विवाद के समाधान हेतु आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

प्रपत्र- VI
(बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम, 2024 के अधीन समाधान आदेश)
[देखें नियम 4(7)]

..का कार्यालय

(1) कारोबार का नाम एवं स्वरूप :

(2) प्रपत्र–II की पावती संख्या एवं तिथि :

(3) प्रपत्र–I के अनुसार डाक का पता :

(4) विधि के तहत निबंधन प्रमाण–पत्र संख्या (यदि कोई हो) :

(5) ई–मेल आईडी जिस पर नोटिस/संसूचन भेजे जा सकते है :

(6) मोबाईल नंबर जिस पर संपर्क किया जा सकता है :

(7) विवाद में सन्निहित मांग की प्रकृति :

(8) विवाद की अवधि :

(9) ज्ञाप संख्या............... दिनांक .... द्वारा निर्गत *प्रपत्र– IV/ प्रपत्र–V के अनुसार समाधान राशि –

(i) वैधानिक प्रमाण–पत्रों/घोषणा–पत्रों के अभाव या अप्रस्तुतीकरण के कारण बकाया कर के मद में :

(ii) अन्य बकाया कर के मद में :

(iii) विधि के अधीन किसी आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति, जुर्माना या ब्याज से उत्पन्न विवाद के मद में :

(10) विवाद के मद में जमा राशि –

(i) वैधानिक प्रमाण–पत्रों/घोषणा–पत्रों के अभाव या अप्रस्तुतीकरण के कारण बकाया कर के मद में :

(ii) अन्य बकाया कर के मद में :

(iii) विधि के अधीन किसी आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति, जुर्माना या ब्याज से उत्पन्न विवाद के मद में :

आदेश

बिहार कराधान विवादों का समाधान नियमावली, 2024 के नियम 4 के प्रावधानों के अनुरूप प्रसंगाधीन विवाद, जिसका विवरण उपर दिया गया है, का एतद द्वारा समाधान किया जाता है।

स्थान :
तिथि : **हस्ताक्षर**
मुहर : **पदनाम**
***जो लागू नहीं हो उसे काट दें।**

ज्ञापांक... **दिनांक...**

प्रतिलिपि :– राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव, बिहार, पटना/...................................(पक्षकार) को अग्रसारित।

स्थान : **हस्ताक्षर**
तिथि : **पदनाम**
मुहर :

प्रपत्र - VII

(बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम, 2024 के अधीन समाधान आवेदन अस्वीकृत किए जाने का आदेश)

[देखें धारा 4(8)]

..का कार्यालय

(1) कारोबार का नाम एवं स्वरूप :

(2) प्रपत्र– II की पावती संख्या एवं दिनांक :

(3) प्रपत्र–I के अनुसार उक्त कारोबार का डाक पता :

(4) विधि के तहत निबंधन प्रमाण–पत्र संख्या (यदि कोई हो) :

(5) ई–मेल आईडी जिस पर नोटिस/संसूचन भेजे जा सकते है :

(6) मोबाईल नंबर जिस पर संपर्क किया जा सकता है :

(7) *प्रपत्र– III का ज्ञाप संख्या एवं दिनांक :

(8) *प्रपत्र– IV का ज्ञाप संख्या एवं दिनांक :

(9) *प्रपत्र– V का ज्ञाप संख्या एवं दिनांक :

(10) विवाद की अवधि :

आदेश

(i) *आप प्रपत्र–III में संसूचित प्रपत्र–I की त्रुटियों को दूर करने में विफल रहे हैं, या

(ii) *आपके द्वारा प्रपत्र–IV में संसूचित वैसे कर, ब्याज, शास्ति या जुर्माना के भुगतान के संबंध में जो आधिकारिक अभिलेख या वाणिज्य–कर विभाग, बिहार के वैटमिस एप्लीकेसन पर जनित पेमेंट रिपोर्ट से सत्यापित नहीं है, के लिए कोषागार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, या

(iii) *आपके द्वारा प्रपत्र–IV में संसूचित अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संगणित शेष समाधान राशि के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, या

(iv) *आपके द्वारा प्रपत्र–V में विनिर्दिष्ट समाधान राशि के जमा करने के संबंध में निर्दिष्ट अवधि तक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

फलतः आपके द्वारा प्रपत्र–I में विवाद समाधान के लिए समर्पित आवेदन को बिहार कराधान विवादों का समाधान नियमावली, 2024 के नियम 4 के प्रावधानों के आलोक में अस्वीकृत किया जाता है।

स्थान :
तिथि :
मुहर : **हस्ताक्षर**
पदनाम

***जो लागू नहीं हो उसे काट दें।**

ज्ञापांक... **दिनांक..**
....

प्रतिलिपि ....(पक्षकार) को अग्रसारित।

स्थान : **हस्ताक्षर**
तिथि : **पदनाम**
मुहर :

(सं०सं०–बिक्री–कर/संशोधन–01/2024–1322)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

15 मार्च 2024

एस० ओ०.68 दिनांक 15 मार्च 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं०सं०–बिक्री–कर / संशोधन–01 / 2024–1322)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 15th March 2024

S.O 68, dated the 15th March 2024—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2024 (Bihar Act 04, 2024), the Governor of Bihar is pleased hereby to make the following rules, namely:–

1. ***Short title, extent and commencement.—***

(1) These rules may be called the Bihar Settlement of Taxation Disputes Rules, 2024.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) These rules will come into force from the date of issue of notification and will remain in force till the effective date of Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2024.

2. ***Definitions***.*–In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,–*

(a) "FORM" means a form appended to this rule.

(b) "section" means a section of the Act;

(c) "the Act" means the Bihar settlement of Taxation Disputes Act 2024;

(2) Other words and expressions used in these rules and not defined herein, but defined in the Act or in the Law or in the rules made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the Law or in the rules made thereunder, as the case may be.

3. ***Manner and form of application for settlement***. –

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) any party wishing to settle a dispute, shall furnish to the authority specified in sub rule (6) a duly completed and signed application in **FORM-I**, at least twenty days before the expiry of the Rules:

Provided that a party wishing to settle a dispute, may furnish to the authority specified in sub rule (6) a duly completed and signed application in **FORM-I** on their official email address exhibited in departmental website of Commercial Taxes Department, Bihar.

(2) Separate applications in FORM -I, shall be furnished for every dispute along with–

(a) copy of annual return or all applicable quarterly returns for the period in dispute, if filed :

Provided that where a dispute does not relate to any assessed tax but relates to imposition of any penalty or interest or fine, copy of returns/annual return shall not be required to be enclosed,

(b) proof of payment in support of payment of admitted tax and payment against disputed amount, by way of challan or challans along with statement, or the payment report downloaded from the website of Commercial Taxes Department or fully and correctly filled TDS certificate in FORM C-II, where applicable:

Provided that in case of TDS certificate in FORM C-II, applicant shall furnish a certificate issued by the deducting authority that amount of tax Rs. ……….. deducted from the applicant's bill for the period …………….. has been deposited into ………………….. (name of the treasury) Treasury vide challan no. ……………..dated ………………….

The said challan of Rs……………….. deposited into government treasury also includes the amount deducted from M/s ………..……………… (name of deductee)

(c) copy of the order levying any tax, interest or penalty or fine where available,
(d) copy of the demand notice, where not furnished under clause (c),
(e) statement along with statutory certificates/declarations received, to be submitted in original,
(f) e-mail address and mobile number on prescribed place of Form-I,
(g) copy of PAN of the applicant, duly signed by blue ballpoint pen.

(3) An application in Form -I will cover only one case of any period under the Law and shall cover entire dispute of that case and not a part of it.

(4) The said application in **FORM-I** will be signed at the place provided in the form by the proprietor of the business; or, in the case of a firm, by the partner authorized to act on behalf of the firm; or, in the case of business of an undivided Hindu family, by the Karta of the family; or, in the case of a company incorporated under the Companies Act, 1956 (Act 1 of 1956) or a corporation constituted under any law, by the managing director or principal executive officer thereof; or, in the case of a society, club or association of persons or body of individual or a department of Government or local authority, by the principal executive officer, or officer in charge thereof; or, by the declared manager in all cases.

(5) If application is sent by Registered or Speed Post, the day on which such application is received by the prescribed authority shall be treated as the day of its presentation.

(6) Duly filled in and signed application in Form-I with required documents shall be submitted before the authority as mentioned below:

TABLE

Sl. No.	**As on 31.01.2024 dispute related to**	**Authority before whom FORM-I to be submitted**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Tax/Interest/Penalty/fine	Head of the Office where order in dispute has been passed.
2.	Penalty order related to violation of provisions for movement of goods passed by Check post authority	Incharge of the circle in whose territorial Jurisdiction such check post was situated.
3.	All other cases other than Sl. no.1 & 2 above	Incharge of the circle who has jurisdiction over the business of the applicant.

(7) The office of the authority referred to in sub-rule (6) shall, after checking the completeness of the application, grant a receipt in **FORM -II** to the party.

4. ***Disposal of application –***

(1) No application shall be considered by the authority referred to in sub-rule (6) of rule 3 unless the application conforms to the requirements of rule 3.

(2) The authority referred to in sub-rule (6) of rule 3 shall verify the computation of the disputed amount, payments made, the settlement amount and other particulars furnished by the party in the application in **FORM–I** within two days of the furnishing of the said application.

(3) Where upon verification under sub-rule (2), it is found by the authority specified in that sub-rule that the application is incomplete/incorrect/does not conform to

the requirements of rule 3, the said authority shall, on the next day of verification as specified in sub-rule (2), issue Deficiency memo in **FORM-III** for rectification of defects of application in Form-I.

(4) A party to whom a Deficiency memo in **FORM-III** has been communicated shall rectify the defects of application in FORM-I within four days of the receipt of the Deficiency memo:

Provided that if the party fails to rectify the defects of the application in **FORM-I** as communicated in **FORM-III,** the said authority shall reject the application for settlement of dispute within a period of two days after the expiry of the period specified in sub-rule (4) by an order in **FORM-VII**, a copy of which shall be forwarded to the party on the e-mail address:

Provided further that the rejection as aforesaid shall, subject to sub-rule (1) of rule 3, not debar the party from filing a fresh application.

(5) Where after removal of defects by the party under sub rule (4), or upon verification under sub-rule (2) it is found by the authority referred to in sub-rule (6) of rule 3 that-

(a) any payment of tax, interest, penalty or fine specified by the party in the application in **FORM –I** is or are not borne out and not verifiable from the official records or payment reports generated on the VATMIS Application of the Commercial Taxes Department, Bihar, or

(b) the disputed amount or the settlement amount has not been computed correctly or is not in accordance with the provisions of the Act, the said authority shall, within ten days from receipt of application in FORM-I, direct the party by order in **FORM-IV** to furnish treasury certificate(s) only in respect of such payments of tax, interest, penalty or fine which could not be verified through the official records or payment reports generated on the VATMIS Application of the Commercial Taxes Department, Bihar or as the case may be, to deposit the payable settlement amount as calculated in accordance with the provisions of the Act into Government Treasury, in the manner provided in Rule 27 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, and furnish the challan evidencing such payment preferably within seven days of the receipt of the order, but in no case later than two days before the expiry of the Rules.

(6) Where upon verification under sub-rule (2), it is found by the authority specified in that sub-rule that

(a) the application conforms to the requirements of rule 3,

(b) the disputed amount and the settlement amount have been computed correctly, and in accordance with the provisions of the Act, and

(c) all payments of tax, interest, penalty or fine specified by the party in the application in **FORM –I** are borne out and verified from the official records or payment reports generated on the VATMIS Application of the Commercial Taxes Department, Bihar, the said authority shall, within ten days from receipt of application in FORM-I, direct the party by order in **FORM-V,** to deposit the settlement amount into Government Treasury, in the manner provided in Rule 27 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, and furnish the challan evidencing such payment preferably within seven days of the receipt of the order, but in no case later than two days before the expiry of the Rules.

(7) The authority specified in sub-rule (2) shall, within two days of the deposit of the entire settlement amount, as aforesaid, make an order in **FORM-VI** settling the dispute.

(8) If the party -
(a) fails to rectify the defects of the application **FORM-I** as communicated in **FORM-III**; or
(b) does not furnish treasury certificate(s) in response to the order of **FORM-IV** in respect of payments of tax, interest, penalty or fine which could not be verified through the official records or payment reports generated on the VATMIS Application of the Commercial Taxes Department, Bihar within the time limit specified in clause (b) of sub-rule (5); or
(c) does not produce evidences of payment of balance settlement amount in response to the order of **FORM-IV** as calculated in accordance with the provisions of the Act within the time limit specified in clause (b) of sub-rule (5); or
(d) does not produce the evidences of the deposit of the entire settlement amount, as required by **FORM-V** within the time limit specified in clause (c) of sub-rule (6);
the said authority shall reject the application for settlement of dispute by an order in **FORM-VII** before expiry of the Rules and communicate such order to the party:
Provided that the rejection as aforesaid shall, subject to sub-rule (1) of rule 3, not debar the party from filing a fresh application.

(9) All communication in **FORM-III, FORM-IV, FORM-V, FORM-VI and FORM-VII** shall be made on e-mail address specified in **FORM-I**.

FORM -I

(Form of application for settlement of dispute under the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2024)

[See Rule 3 (1)]

(Application shall be filled and signed by blue ballpoint pen only.)

Before the
……………………………..
……………………………..

I, ……………………(full name in block letters), son of ……………………….. residing at ………………………., being *proprietor/ partner/ karta/ managing director/ principal executive officer/officer incharge / declared manager hereby apply for settlement of arrear tax, interest, fine or penalty in dispute and the relevant particulars are furnished below:–

1. Trade name of the business	
2. Address of the principal place of business	
3. Postal address at which communication may be made	
4. PAN of the applicant	
5. E-mail address to which notices / communications may be sent	
6. Mobile number to which communications may be sent	
7. Act under which the case is pending	
8. Registration Certificate Number under the law, if any	
9. Period of the case in respect of which the application is made	
10. Admitted tax payable as per return	
11. Admitted tax paid	
12. Date on which order levying tax, interest, penalty or fine passed	

13. Demand notice number and date	
14. Pending before which authority *(Circle office/Appellate Authority/ Commissioner/Tribunal/ High Court/Supreme Court)*	
15. Date on which Appeal/ Revision/ Reference/ WP/ SLP filed	

16. Details of dispute **-**

Description	**Arrear of tax for non furnishing/non-production of statutory Certificates/ Declarations**	**Other Arrears of tax**	**Dispute arising out of an order levying penalty, fine or interest under the law**
Amount of tax, interest, penalty or fine levied			
Amount of tax, interest, penalty or fine in dispute			
Settlement amount as per section 3 of the Act			
Amount of tax, interest, penalty or fine paid earlier in respect of the dispute			
Balance amount payable for settlement of dispute			

17. The details of amount already deposited against disputed amount -

Challan no.	**Date**	**on account of Tax/ Interest/Penalty/Fine**	**Amount deposited**

18. Value of statutory Certificates/ Declarations received after issuance of demand notice which are attached with this application-

19. *I/We want to get the case settled upon further payment of Rs. …………on account of assessed tax, Rs. .... on account of interest, Rs. .... on account of penalty and Rs. .... on account of fine. *I/We undertake to pay the amount in the appropriate Government Treasury within such time as may be directed.

Declaration:

I, ……………………….. (full name in block letters) declare that the information and particulars furnished in this application are correct and complete.

Date : **(Signature of the applicant)**

***Strike out whichever is not applicable.** **(Status).**

FORM-II

(Form of Acknowledgement under the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2024)

[See Rule 3(7)]

Office of the ………………………

Receipt No.

Date –

Application in FORM-I ……………………………………………Received from

(A) Trade name of the business…………………………………………………………………

(B) Registration Certificate Number under the law, if any…………………………….

(C) E-mail address ………………………………………………..

(D) Mobile No. ..………………………………………………..

Check slip [(Tick (√) if enclosed (x) if not enclosed)]

(1) Copy of annual return or all applicable quarterly returns for the period in dispute, if filed	☐
(2) Statement along with copies of challan in support of payment of admitted Tax and disputed amount made earlier	☐
(3) Payment report downloaded from the website of Commercial Taxes Department	☐
(4) FORM C-II along with certificate of deducting authority as prescribed in Rule-3(2)(b)	☐
(5) Copy of the order levying any tax, interest or penalty or fine	☐
(6) Copy of demand notice regarding dispute	☐
(7) Statement along with statutory certificates/declarations received in original	☐
(8) E-mail address & mobile no. mentioned on prescribed place in Form-I	☐
(9) Copy of PAN of the applicant, duly signed by blue ballpoint pen	☐

Place : **Signature**

Seal : **Designation**

FORM-III

(Form of Deficiency memo for rectification of defects of application in Form-I under the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2024)
[See Rule 4(3)]

Office of the …………………………

(1) Name and style of business in respect of which application in form Form-I has been received:
(2) Postal address as per FORM-I:
(3) Registration Certificate Number under the law, if any:
(4) E-mail address to which notices / communications may be sent:
(5) Mobile number to which communications may be sent:
(6) Nature of demand involved in dispute:
(7) Period to which dispute relates:

Order

The aforesaid application in FORM-I filed by you and acknowledged vide receipt No. ………….. dated …………. of this office is *incomplete/*incorrect/*does not conform to the requirements of rule 3 due to following reasons- (specify the reason)
1. ………………...……………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………

You are, therefore, directed to rectify the defects of the application FORM-I by ……….. (date). In the event of your failure to rectify the defects shall lead to rejection of application for settlement of dispute without any further hearing.

Place : **Signature**
Date : **Designation**
Seal :
***Strike out whichever is not applicable.**

Memo No. **Date –**
Copy forwarded to ……………………………. ……………………… (Party).

Place : **Signature**
Date : **Designation**
Seal :

FORM-IV

(Order to furnish payment proof/ treasury certificate under the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act , 2024)

[See Rule 4(5)]

Office of the …………………………

1. Name and style of business :
2. Receipt No. and date of FORM-II :
3. Postal address as per FORM-I :
4. Registration Certificate Number under the law, if any :
5. Nature of demand involved in dispute :
6. E-mail address to which notices / communications may be sent :
7. Mobile number to which communications may be sent :
8. Period to which dispute relates :

Order

Whereas upon verification of the aforesaid application in FORM-I filed by you, it is found that –

(i) *Your following payments of tax, interest, penalty or fine specified in the application in **FORM –I** are not verifiable from the official records or payment reports generated on the VATMIS Application of the Commercial Taxes Department, Bihar:-

S.No	Date	Amount	on account of Tax/Interest/Penalty/Fine

(ii) * the settlement amount has not been computed correctly or is not in accordance with the provisions of the Act as shown in the table below. Amount paid earlier in respect of the dispute and which is verified from official records or VATMIS is also shown in the table-

Dispute relating to:	Settlement Amount as shown in application FORM-I	Settlement amount as calculated in accordance with the provisions of the Act	Amount paid earlier in respect of the dispute and verified from official records or VATMIS
1	2	3	4
on account of arrear of tax for non furnishing/ non-production of statutory Certificates/ Declarations			
on account of other arrear of tax			
on account of dispute arising out of an order levying penalty, fine or interest			

You are, therefore, hereby directed to –

(a) *furnish treasury certificate(s) in respect of payments of tax, interest, penalty or fine as per table of clause (i) of the above order by…………(date) (in case where treasury certificate(s) are required).

(b) *produce evidences of balance settlement amount of Rs. …………on account of assessed tax, Rs. .... on account of interest, Rs. .... on account of penalty and Rs. .... on account of fine in form of challans by………….(date) (in case where treasury certificate(s) are not required).

(c) *produce evidences of balance settlement amount of Rs. …………on account of assessed tax, Rs. .... on account of interest, Rs. .... on account of penalty and Rs. .... on account of fine in form of challans by………….(date) (in case where treasury certificate(s) are required and if it is produced), or produce evidences of balance settlement amount of Rs. …………on account of assessed tax, Rs. .... on account of interest, Rs. .... on account of penalty and Rs. .... on account of fine in form of challans by………….(date) (in case where treasury certificate(s) are required and if it is not produced).

Place : **Signature**
Date : **Designation**
Seal:
***Strike out whichever is not applicable.**

Memo No. **Date-**
Copy forwarded to ……………………….. (Party)

Place : **Signature**
Date : **Designation**
Seal :

Note:- *Failure on the part of the party entails rejection of application for settlement of dispute without any further hearing to the party.*

FORM-V

(Order to deposit settlement amount under the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2024)

[See Rule 4(6)]

Office of the ………………………..

1. Name and style of business :
2. Receipt No. and date of FORM-II :
3. Postal address as per FORM-I :
4. Registration Certificate Number under the law, if any :
5. E-mail address to which notices / communications may be sent :
6. Mobile number to which communications may be sent :
7. Nature of demand involved in dispute :
8. Period to which dispute relates :

Order

The settlement amount in relation to application filed in FORM-1 is calculated as below-

Dispute relating to:	**Settlement Amount as shown in application FORM-I**	**Settlement amount as calculated in accordance with the provisions of the Act**	**Amount paid earlier in respect of the dispute and verified from official records or VATMIS**
1	**2**	**3**	**4**
on account of arrear of tax for non furnishing/non-production of statutory Certificates/ Declarations			
on account of other arrear of tax			
on account of dispute arising out of an order levying penalty, fine or interest under the law			

You are hereby directed to produce evidences of balance settlement amount of Rs. …………on account of assessed tax, Rs. .... on account of interest, Rs. .... on account of penalty and Rs. .... on account of fine in form of challans by…………(date).

Place : **Signature**
Date : **Designation**
Seal:

Memo No. Date-
Copy forwarded to ……………………….. (Party)

Place : **Signature**
Date : **Designation**
Seal :

Note:- *Failure on the part of the party entails rejection of application for settlement of dispute without any further hearing to the party.*

FORM-VI

(Order of Settlement under the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2024)

[See Rule 4(7)]

Office of the …………………………

(1) Name and style of business :
(2) Receipt No. and date of FORM-II :
(3) Postal address as per FORM-I :
(4) Registration Certificate Number under the law, if any :
(5) E-mail address to which communications may be sent :
(6) Mobile number to which communications may be sent :
(7) Nature of demand involved in dispute :
(8) Period to which dispute relates :
(9) Settlement amount as per *FORM-IV/ FORM-V issued under memo no. .... Dated ....
(i) on account of Arrear of tax for non furnishing/ non-production of statutory Certificates/ Declarations :
(ii) on account of other Arrear of tax :
(iii) on account of dispute arising out of an order levying penalty, fine or interest under the law :
(10) Amount deposited against dispute
(i) on account of Arrear of tax for non furnishing/ non-production of statutory Certificates/ Declarations :
(ii) on account of other Arrear of tax :
(iii) on account of dispute arising out of an order levying penalty, fine or interest under the law :

Order

The dispute whose details are set out above is hereby settled in accordance with the provisions of rule 4 of the Bihar Settlement of Taxation Disputes Rules, 2024.

Place : **Signature**
Date : **Designation**
Seal:
*Strike out whichever is not applicable.

Memo No. Date-

Copy forwarded to State Tax Commissioner-Cum-Secretary, Bihar, Patna / …………………… (Party)

Place : **Signature**
Date : **Designation**
Seal:

FORM-VII

(Order of rejection of application under the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2024)

[See Rule 4(8)]

Office of the …………………………

(1) Name and style of business:

(2) Receipt No. and date of FORM-II:

(3) Postal address of the said business as per FORM-I:

(4) Registration Certificate Number under the law, if any:

(5) E-mail address to which notices / communications may be sent:

(6) Mobile number to which communications may be sent:

(7) *Memo no. and date of FORM-III :

(8) *Memo no. and date of FORM-IV :

(9) *Memo no. and date of FORM-V:

(10) Period to which dispute relates:

Order

(i) *You have failed to rectify the defects of the application FORM-I as communicated in FORM-III, or

(ii) *You have not furnished treasury certificate(s) in respect of payments of tax, interest, penalty or fine which could not be verified through the official records or payment reports generated on the VATMIS Application of the Commercial Taxes Department, Bihar as communicated in FORM-IV, or

(iii) *You have not produced evidences of balance settlement amount as calculated in accordance with the provisions of the Act and communicated in FORM-IV, or,

(iv) *You have not produced the evidences of the deposit of the settlement amount, as required by FORM-V before the expiry of the period as specified in FORM-V.

Therefore, the said application filed by you for settlement of above dispute in FORM-I is hereby rejected in accordance with the provisions of Rule 4 of the Bihar Settlement of Taxation Disputes Rules, 2024.

Place : **Signature**
Date : **Designation**
Seal :

***Strike out whichever is not applicable.**

Memo No. **Date –**

Copy forwarded to ……………………………………. ……………………… (Party).

Place : **Signature**
Date : **Designation**
Seal :

[(File No.Bikri-kar/Sansodhan-01/2024-1322)]
By order of the Governor of Bihar
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)261-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in